

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 घ

(नियम 64 देखें)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

28 - मंडावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान के विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

सुश्री रीटा चौधरी,

ग्राम - हेतमसर, पोस्ट - भारू, तहसील - झुन्झुनू जिला - झुन्झुनू

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े की गई हैं।

उस सदन में, श्री नरेन्द्र कुमार के त्याग पत्र के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई है।

स्थान: झुन्झुनू

तारीख: 24.10.2019


24/10/19

(डॉ. अमित यादव)

रिटर्निंग ऑफिसर,

(28) मंडावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मलसीसर

रिटर्निंग ऑफिसर

(28) मंडावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मलसीसर

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)
FORM 21 D
(See rule 64)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from **28-Mandawa** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Ms. RITA CHOUDHARY

VILLAGE - HETAMSAR, POST - BHARU,

TEHSIL - JHUNJHUNU, DISTRICT - JHUNJHUNU

Sponsored by **INDIAN NATIONAL CONGRESS** has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of **Sh. Narendra Kumar.**

Place : Jhunjhunu

Date : 24.10.2019



(Dr. Amit Yadav)
Returning Officer

(28) Mandawa Assembly Constituency
Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate,
Malsisar

Returning Officer
(28) Mandawa Assembly Constituency
Sub-divisional Officer and Sub-divisional Magistrate
Malsisar